



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003 / 2003 / का.आ. / 02 / 2024/208

दिनांक : 21.05.2024


## कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु दिनांक 18 जून से 22 जून 2024 तक 'कौशल संवर्धन कार्यशाला' का आयोजन किया जा रहा है।

'कौशल संवर्धन कार्यशाला' का निर्देशन एवं संयोजन प्रो. आनंद पाटील, कुलसचिव एवं निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय तथा सह-संयोजन डॉ. राजेश कुमार यादव, हिंदी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

सुश्री आरती गुडघे, अनुवादक, कार्यशाला के आयोजन में सचिवीय सहयोग करेंगी।

यह सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

  
सहायक कुलसचिव  
(स्थापना एवं प्रशासन)

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त संबंधित ।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक, अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के प्रभारी
3. प्रभारी-लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. संबंधित पत्रावली